निर्णय व इजलास प्रकरण राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गंगी पुत्र शंकर जाति गुर्जर निवासी कंटवाड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर।

2 रामचन्द्र सरधना पुत्र स्व. श्री सूरजमल

3 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र सरधना

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंटवाड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

4 प्रभू पुत्र शंकर

5 हनुमान पुत्र शंकर

6 भरता पुत्र शंकर

7 श्रीमती संध्या पत्नी शंकर

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंटवाड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8 सुन्दरी पुत्री शंकर पत्नी मालीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठोंटी बडी डूंगरिया, पंचायत समिति झोटवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

9 सुर्गी पुत्री शंकर पत्नी गोपाल

10 लाडा पुत्री शंकर पत्नी जगदीश

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जैसल्या, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 ब उनवानी रामचन्द्र व अन्य बनाम प्रभू व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री मदन लाल कुडी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महावीर प्रसाद सेवदा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 ब उनवानी रामचन्द्र व अन्य बनाम प्रभू व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु॰ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री महावीर प्रसाद शेरावत अधिवक्ता उपस्थित है ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत वादी से जिरह करने का अवसर खुलवाने हेतु पेश किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक लगाये ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2024 को खारिज कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को अवगत करवाया कि मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है । मै उक्त दावे का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में शीघ्र करूंगी जिससे अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कानून के विपरीत जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अनुचित लाभ पहुंचाना चाहती है। जिससे प्रार्थी को कतई न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की शंका जाहिर की है इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया॥ पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु॰ जयपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका ज़ाहिर की है न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, परन्तु न्याय किया जा रहा है, ऐसा लगना भी चाहिये। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

8. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु॰ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2019 ब उनवानी रामचन्द्र व अन्य बनाम प्रभू व अन्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान वास्ते सुनवाई नियत दिनांक 10.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर मैरिट पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मु॰ जयपुर व उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया॥

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner